

॥ महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:- सामान्य / 18 / 2012 / १०७२। - ८२०

दिनांक:- ३०/७/१२

-: आदेश :-

निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (269) भाषूवि / पर्व / 2012 / 1083-1252 दिनांक 14.6.12 की पालना में कारागार विभाग में राजभाषा हिन्दी भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करने, हिन्दीकरण संबंधी विभिन्न कार्यों व राज्यादेशों के प्रयोग व प्रगति का सर्वेक्षण करने एवं इसके प्रयोग में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की अध्यक्षता में निम्नानुसार विभागीय राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है :-

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. अति. महानिदेशक कारागार, राज० जयपुर                | सदस्य       |
| 2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर                | सदस्य       |
| 3. मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर | सदस्य       |
| 4. उपाधीक्षक (प्रथम) महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर | सदस्य सचिव, |

उक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक समीक्षा बैठक आयोजित कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

*Sd/-*

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक  
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक एवं पदेन शासन सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक न.8, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज, जयपुर / जोधपुर, / उदयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर।
4. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार, राज० जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राज० जयपुर।
6. निजी सहायक, उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह।
8. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
9. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर / जोधपुर
10. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
11. उपाधीक्षक प्रथम / द्वितीय, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर।
12. सहायक विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर।
13. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
14. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर।

*✓*  
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक  
कारागार राजस्थान जयपुर